

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- चक सरदारपुरा
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : सन 2018
अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. गोरीशंकर 3 राकेश पि0 रामप्रताप जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :-

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 119/128 के प0न0 333/441 (22) किला न0 5/0.1900 ,6 ,14 ,15 प्रत्येक 0.253हैक कुल किता 4 की 0.9490हैक प0न0 334/441(23) किला न0 1/0.1900 , 10 ,11 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 3 की 0.6960हैक प0न0 329/442(35) किला न0 16 ता 18/प्रत्येक 0.253हैक , 22 ता 25/प्रत्येक 0.253हैक , कुल किता 7 की 1.6710हैक प0न0 338/443(47) किला न0 11 ता 15 व 18 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 8 की 2.0240हैक प0न0 329/443(48) किला न0 4/0.2280 ,7 ,14 ,17 ,18 ,24 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 7 की 1.7640हैक प0न0 0 मु0न0 86/17 किला न0 0/1 की 0.0770हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 91/1 के किला न0 0/1 की 0.1010हैक गै0मु0रास्ता प0न0 0 मु0न0 91/9 की किला न0 0/2 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल किता 32 की 7.3400हैक में से 2.447हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 110/108 के खसरा न0 125 की 3.4140हैक , खसरा न0 142 की 6.6270हैक कुल 10.0410हैक में से 397 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता अर्थात वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है क्योंकि पैतृक सम्पति है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बहिब दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है राजीनामा शामिल मिसल किया गया।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा रामजीलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 119/128 के प0न0 333/441 (22) किला न0 5/0.1900 ,6 ,14 ,15 प्रत्येक 0.253हैक कुल किता 4 की 0.9490हैक प0न0 334/441(23) किला न0 1/0.1900 , 10 ,11 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 3 की 0.6960हैक प0न0 329/442(35) किला न0 16 ता 18/प्रत्येक 0.253हैक , 22 ता 25/प्रत्येक 0.253हैक , कुल किता 7 की 1.6710हैक प0न0 338/443(47) किला न0 11 ता 15 व 18 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 8 की 2.0240हैक प0न0 329/443(48) किला न0 4/0.2280 ,7 ,14 ,17 ,18 ,24 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 7 की

श्री रावदी

1.7640हैक् प0न0 0 मु0न0 86/17 किला न0 0/1 की 0.0770हैक् गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 91/1 के किला न0 0/1 की 0.1010हैक् गै0मु0रास्ता प0न0 0 मु0न0 91/9 की किला न0 0/2 की 0.0760हैक् गै0मु0 रास्ता कुल किता 32 की 7.3400हैक् में से 2.447हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 110/108 के खसरा न0 125 की 3.4140हैक् , खसरा न0 142 की 6.6270हैक् कुल 10.0410हैक् में से 397 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों का बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)
अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर।

बनाम

वादी

1. रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. गोरीशंकर 3 राकेश पि० रामप्रताप जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 144 सन 2018 निर्णय दिनांक

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 119/128 के प०न० 333/441 (22) किला न० 5/0.1900 ,6 ,14 ,15 प्रत्येक 0.253हैक् कुल किता 4 की 0.9490हैक् प०न० 334/441(23) किला न० 1/0.1900 , 10 ,11 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल किता 3 की 0.6960हैक् प०न० 329/442(35) किला न० 16 ता 18/प्रत्येक 0.253हैक् , 22 ता 25/प्रत्येक 0.253हैक् , कुल किता 7 की 1.6710हैक् प०न० 338/443(47) किला न० 11 ता 15 व 18 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल किता 8 की 2.0240हैक् प०न० 329/443(48) किला न० 4/0.2280 ,7 ,14 ,17 ,18 ,24 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल किता 7 की 1.7640हैक् प०न० 0 मु०न० 86/17 किला न० 0/1 की 0.0770हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 0 मु०न० 91/1 के किला न० 0/1 की 0.1010हैक् गै०मु०रास्ता प०न० 0 मु०न० 91/9 की किला न० 0/2 की 0.0760हैक् गै०मु० रास्ता कुल किता 32 की 7.3400हैक् में से 2.447हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 110/108 के खसरा न० 125 की 3.4140हैक् , खसरा न० 142 की 6.6270हैक् कुल 10.0410हैक् में से 397 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों का बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Saidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा